



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

क्र०- छ०ग०/बलौदाबाजार/चू०प०-41/रायपुर 38 म०प्र० 08007 दिनांक :- 07/04/2021

प्रति,

श्री जी० पी० मढ़रिया, खनन पट्टेदार,
मढ़रिया कॉम्प्लेक्स, मढ़रिया चौक के पास, मुक्त नगर,
पोस्ट एवं जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़) - 491 001
ईमेल:- khemlalverma45@gmail.com

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार जिले में स्थित आपकी बिटकूली चूना पत्थर खदान क्षेत्रफल 3.603 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 18/03/2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री के० डी० महंत, खान मालिक प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
नियम संख्या 11 (1)	The following deviations have been found in the mine from the approved Modified Mining Plan vide letter no. BBZ/LST/MPLN-1087/2017-RPR Raipur dated 23/05/2017 for the period of F.Y. 2017-18 to 2020-21: Exploration: During F.Y. 2019-20; it was proposed to carry out 02 nos. of Core Boreholes up to a cumulative depth of 100 meters; whereas, none of boreholes have been drilled. Development: In the approved Review of Mining Plan, there was a proposal given for the production and development during the financial year 2019-20 in between local co-ordinates: N080 to N180 and E045 to E110, whereas, production and development is being done in irregular and unscientific manner at many places within lease area without any approved proposal. Along boundary pillar no. 1 to 4 and 4 to 3 at 7.5 m barrier zone has been mined out without any approved proposal. Afforestation: There was a proposal given for plantation of 100 nos. of plants during 2019-20. Whereas, NIL plantation has been done.
नियम संख्या 26 (2)	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out has not been submitted for the year 2018-19.
नियम संख्या 33	Updated print copy of the surface geological plan and sections has not been submitted before 30th day of June for the financial year 2018-19.
नियम संख्या 45 (7)	Monthly Return October 2018: Part - II (Production, Dispatches And Stock); 2. Grade-wise production, Despatches, Stocks and Ex-mine prices of Processed ore (Limestone): Without production of ROM and Grade-wise Ore, Opening and Closing stock of Cement Grade Limestone has been increased by 3200.00 Metric Tonnes. Further, this stock is still reflecting up to the Monthly Returns for the month of February 2021. Annual Return F.Y. 2019-20: Part - VI (Production, Dispatches And Stock); 5. Sales/Dispatches effected for Domestic Consumption and for exports (Limestone): With Zero dispatch of Limestone, Sale Value has been shown as Rs. 913440.00
नियम संख्या 55	Whole-time Mining Engineer and a Geologist are not been appointed.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम संख्या 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत :-

कृ०पृ०...2...

- (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र) – 440001।
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492002।
3. श्री जी० पी० मढ़रिया, पट्टेदार, वास्ते श्री खेमलाल वर्मा, शिक्षक कॉलोनी, बजरंग वार्ड क्रमांक 05, तिल्दा, पोस्ट ऑफिस तिल्दा, जिला— रायपुर (छत्तीसगढ़) – 493 114।

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर